उनवान–अब्दुलकयुम वगैरा बनाम बहादुर वगैरा
राजस्व आवेदन संख्या 403/2025

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी –श्री बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन– 403/2025 अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रार्थीगण	विप्रार्थीगण
1. अब्दुलकयुम पुत्र ईकरामदीन 2. ईकरामदीन पुत्र अमीरअली 3. करीमों पत्नी ईकरामदीन जातियान मुसलमान निवासीगण मंगलिया पाड़ा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।	1. बहादुर पुत्र होता जाति मुसलमान निवासी मंगलिया पाड़ा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर 2. इस्माईल पुत्र अजल 3. जीमाल पुत्र अजल 4. सालिया पत्नी अजल जातियान मुसलमान निवासीगण गरढिया हाल निवासी मंगलिया पाड़ा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर 5. शाखा प्रबंधक दी सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा सेड़वा 6. राज्य सरकार जरिए भूमिधारी तहसीलदार सेड़वा जिला बाड़मेर।

वकील प्रार्थीगण :– श्री आम्बाराम पूनड़

निर्णय

दिनांकः– 09/03/2026

प्रार्थीगण अब्दुलकयुम पुत्र ईकरामदीन जाति मुसलमान निवासी मंगलिया पाड़ा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर वगैरा द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि "प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जाकाश्त की भूमि ग्राम मंगलिया पाड़ा पटवार हल्का जानपालिया, भू.अ.नि. क्षेत्र सारला तहसील सेड़वा उपखण्ड क्षेत्र सेड़वा के खेत खसरा नम्बर 37 रकबा 6–4831 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम का आया हुआ है, जिसमें प्रार्थीगण की वर्षों पुरानी रहवासीय ढाणी आई हुई है। प्रार्थीगण को उक्त खेत व रहवासीय ढाणी में आने जाने के लिए रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। प्रार्थीगण के खेत व रहवासीय ढाणी में आने जाने के लिए रास्ता अप्रार्थीगण के खातेदारी खेत ग्राम मंगलिया पाड़ा पटवार हल्का जानपालिया भू.अ.नि. सारला तहसील सेड़वा उपखण्ड क्षेत्र सेड़वा के खेत खसरा नम्बर 36 रकबा 5–5685 हैक्टेयर किस्म

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.03.24 20:45:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

बारानी दोयम में से 10 फीट चौड़ा व खसरा नंबर 50 रकबा 11–1127 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम में से 10 फीट के चौड़े रास्ते की निकटतम रूठ से आवश्यकता है। उक्त रास्ता आने–जाने के लिए आवागमन की सुविधा हेतु उपयुक्त व सुविधाजनक रास्ता है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जा काश्त के खेत में काश्त करने व रहवासीय ढाणी में आने–जाने का निकटतम रूठ का सुविधाजनक का रास्ता नहीं है। उक्त प्रस्तावित रास्ता आगे जाकर डामर सड़क को जोड़ता है। उक्त स्थान से रास्ता वर्षों से चालू था, अभी अप्रार्थीगण उक्त भूमि अपने नाम की खातेदारी में दर्ज होने का बहाना बनाकर उक्त स्थान से चलने से मना कर दिया है तथा रास्ते हेतु आपसी सहमति से मामला नहीं बैठता है। जिससे रास्ते की प्राप्ति हेतु उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते का विवरण निम्नानुसार है–

क्र. सं.	खसरा संख्या	रकबा (हैक्टेयर में)	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि	मौजा	खातेदार का नाम
1	848/36	5–5685	बारानी दोयम	10 फीट	मंगलिया पाड़ा	बहादुर पुत्र होता
2	50	11–1127	बारानी दोयम	10 फीट	मंगलिया पाड़ा	इस्माईल पुत्र अजल वगैरा

प्रार्थी के पास उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ते की सुविधा उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण को अपने खेत में आने–जाने के लिए अप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी भूमि में से 10 फीट चौड़े व अप्रार्थी संख्या 02 से 04 की खातेदारी भूमि में से 10 फीट चौड़े रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है, जिसे नक्शे में चिन्हित स्थान पर ही सुविधाजनक व उपयुक्त रास्ता है, जिसे संलग्न नक्शे में नक्शा परिशिष्ट 'अ' में लाल स्याही से दर्शाया गया है। उक्त नक्शे को प्रार्थना पत्र का महत्वपूर्ण अंग माना जाकर साथ पढा जावें। प्रार्थीगण के उक्त आवेदित स्थान के रास्ते के अभाव में प्रार्थीगण के बच्चों के शिक्षा हेतु स्कूल आने जाने खेतों में व रहवासीय ढाणी में आने जाने, काश्त के साधन, उपकरण लाने ले जाने, राशन सामग्री लाने ले जाने में इत्यादि कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे रास्ते की सुविधा हेतु अत्यंत आवश्यकता है। लेकिन अप्रार्थीगण ने उक्त रास्ते की भूमि से चलने से मना कर दिया। जिससे प्रार्थीगण रास्ते की सुविधा के अधिकार पाने का कानूनी हकदार है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवेदित स्थान की भूमि राजस्व रेकर्ड में रास्ता सुविधा हेतु गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज करने का आदेश तहसीलदार, सेड़वा के नाम जारी फरमावें। उक्त रास्ते की भूमि में अप्रार्थीगण किसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.03.24 20:45:50 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
सेड़वा
सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

प्रकार का आवागमन में बाधा कारित न करें, न करावें तथा न आवेदित स्थान से रास्ते की भूमि पर अप्रार्थीगण किसी प्रकार का कच्चा–पक्का निर्माण करें व न करावें। इस आशय का आदेश फरमावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए नोटिस/सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के सम्मन तामिलशुदा प्राप्त हुए, जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए उनके विरूद्ध एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने चाहे गये रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किया। तहसीलदार सेड़वा को प्रार्थीगण द्वारा वांछित रास्ते से संबंधित तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन हेतु न्यायालय के पत्रांकः रीडर/2025/2249 दिनांक 30.12.2025 के द्वारा तहसीलदार सेड़वा को लिखा गया। कार्यालय तहसीलदार सेड़वा के पत्रांकः भू.अ./2026/129 दिनांक 13.01.2026 के द्वारा तथ्यात्मक मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 01.01.2026 अनुसार अब्दुलकयुम पुत्र इकरामदीन व करीमा पत्नी इकरामदीन जातियान मुसलमान की उपस्थित में भूमि का मौका मुआयना किया गया। मौका रिपोर्ट निम्नानुसार तैयार की गई–

क्र. सं.	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा हैक्ट. में	प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा	रास्ते में समाविष्ट भूमि की कीमत	मौजा	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6	7	9
1.	ईस्माईल पुत्र अजल 2/3, जीमाल पुत्र अजल 1/6, सालिया पुत्र अजला 1/6 कौम मुसलमान सा. देह खातेदार	50	11–1127	0–0809 हैक्टेयर (रास्ते की चौड़ाई–10 फीट)	18202/–	मंगलिया पाड़ा	बा.दो.
2	बहादूर पुत्र होता जाति मुसलमान सा. देह खातेदार	848/36	5–5685	0–0809 हैक्टेयर (रास्ते की चौड़ाई–10	18202/–	मंगलिया पाड़ा	बा.दो.

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.03.24 20:45:50 IST
Reason: SelfAttested

उक्त प्रस्तावित रास्ते में कोई मकान, पेड़ इत्यादि नहीं है। भूमि मौके पर खाली है। उक्त ग्राम की डीएलसी दर 2,25,000/– प्रति हैक्टेयर है। प्रस्तावित रास्ते में प्रयुक्त भूमि की

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

डीएलसी दर से दुगुनी राशि(क्षतिपूर्ति राशि) 72808 रूपये है। प्रस्तावित रास्ता बरंग लाल अंकित है। मौका रिपोर्ट पढकर सुनाई गई। उपस्थित मोतबरान ने हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान किए।

प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली का आद्योपांत अध्ययन अवलोकन किया गया। संलग्न दस्तावेजों एवं मौका रिपोर्ट पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त चिंतन मनन किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों, तथ्यों आदि पर बहस की, जिस पर न्यायालय द्वारा स्वस्थ चित्त से विचारण किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा दस्तावेजी साक्ष्यों पर युक्तियुक्त विचारणोपरांत यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है और यह केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है तथा इसका अन्य विकल्प नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 स्वीकार योग्य प्रतीत होता है तथा प्रार्थीगण को जो रास्ता दिया जाना है, उसका विवरण निम्नानुसार है–

क्र. सं.	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा हैक्ट. में	प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा	रास्ते में समाविष्ट भूमि की कीमत	मौजा	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6	7	9
1.	ईस्माईल पुत्र अजल 2/3, जीमाल पुत्र अजल 1/6, सालिया पुत्र अजला 1/6 कौम मुसलमान सा. देह खातेदार	50	11–1127	0–0809 हैक्टेयर (रास्ते की चौड़ाई–10 फीट)	18202/–	मंगलिया पाड़ा	बा.दो.
2	बहादूर पुत्र होता जाति मुसलमान सा. देह खातेदार	848/36	5–5685	0–0809 हैक्टेयर (रास्ते की चौड़ाई–10 फीट)	18202/–	मंगलिया पाड़ा	बा.दो.

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी/संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(11) (a) में स्पष्ट है कि अगर समझौते से रास्ते का समाधान नहीं होता है, तो जिला स्तरीय कमेटी/डीएलसी द्वारा निर्धारित की गई बाजार राशि की दर से

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.03.24 20:45:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थी को रास्ता दिया जा सकता है और अन्य कोई पेड़ फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो उनकी क्षति पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

प्रार्थीगण के आवेदन की गंभीरता व अत्यधिक आवश्यकता के दृष्टिगत उनका आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1)–(b) राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम 2010 को स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार के पत्रांकः भू.अ./2026/129 दिनांक 13.01.2026 द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट मय फर्द दिनांक 01.01.2026 एवं संलग्न आंशिक नक्शा ट्रेस बरंग लाल से दर्शाया गया है जिसमें वर्णित एवं दर्शित अनुसार 20 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण के पक्ष में दिए जाने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थीगण क्षतिपूर्ति राशि नियमानुसार डीएलसी दर की दो गुना राजकोष में अदा करेगें। तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 13.01.2026 मय फर्द दिनांक 01.01.2026 व नक्शा निर्णय का अनिवार्य अंग रहेंगे। प्रार्थीगण को उक्त खसरे में से प्रस्तावित नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पालना अनिवार्य होगी :–

1. तहसीलदार सेड़वा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में संलग्न आंशिक नक्शा ट्रेस में दर्शाया गया है कि प्रस्तावित नए रास्तें में समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचलित (लागू) डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुना राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा सात दिवस में न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी।
2. तहसीलदार द्वारा गणना उपरान्त निर्धारित राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा प्रभावित पक्षकार (विप्रार्थीगण) को नए रास्तें में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुना के बराबर होगी।
3. प्रार्थीगण द्वारा नए प्रस्तावित रास्तें में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि तहसीलदार सेड़वा को प्रदान करने के उपरान्त ही स्वयं द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जायेगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.03.24 20:45:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

4. नए प्रस्तावित 20 फीट रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "गैर मुमकिन रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जायेगी।
5. प्रार्थी को उक्त 20 फीट चौड़े रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होंगे।
6. रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरों में से कम करते हुए तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तों की पालना के अध्यधीन ही प्रार्थीगण को नया रास्ता देने हेतु आज दिनांक ०१/०३/2026 को आदेश किया जाता है। मौका फर्द मय नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेंगे। निर्णय पालना हेतु तहसीलदार सेड़वा को लिखा जावें।

पंत्रावली फैसल शुमार होकर, दफ्तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।

(बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.03.24 20:45:50 IST
Reason: SelfAttested

पुट्ठी करो

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.)सेडवा जिला बाडमेर

क्रमांक / भू.अ. / 2026 / 129 दिनांकः– 13/01/2026

प्रेषितः– श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, सेड़वा

विशयः– राजस्व आवेदन सं 403 / 2025 अनवान अब्दुलकायम वगैरह बनाम बाहादूर वगैरह अंतर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(A) में मौका रिपोर्ट भिजवाने बाबत् ।

उपरोक्त विशयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्व 403 / 2025 अनवान अब्दुलकायम वगैरह बनाम बाहादूर वगैरह अन्तर्गत आर टी एक्ट की धारा 251 ए तहत ग्राम मंगलिया पाडा के खसरा **37** में आने जाने के लिए विप्रार्थीगण के खेत खसरा नं. **50, 848 / 36** में से रास्ता दिया जाने हेतु आप द्वारा मौका रिपोर्ट चाही गई थी। जिसकी पालना में भू. अ. निरीक्षक सारला द्वारा दिनांक **01.01.2026** को मौके पर जाकर जांच कर मौका रिपोर्ट व प्रस्तावित रास्ते हेतु नक्शा तैयार किया गया। मौका रिपोर्ट व प्रस्तावित रास्ते का नक्शा इस पत्रांक के सलंगन भिजवाया जा रहा है।

सलंगनः– उपरोक्तानुसार

भवदीय

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.03.24 20:45:50 IST
Reason: SelfAttested

LR
06/01/2026

सेवा में,

श्रीमान तहसीलदार साहब
खेड़वा

विषय:- राजस्व आवेदन 403/2025 अन्तर्गत अब्दुलकयाम बनाम बहादुर वगै. में धारा 251'A' मौका रिपोर्ट पेश करने बाबत्।

प्रसंग:- आपका आदेश/2281/31/12/2025।

महोदय जी,

निवेदन है कि उपखण्ड अधिकारी खेड़वा के राजस्व वाद 403/2025 अन्तर्गत अब्दुलकयाम बनाम बहादुर वगै. ग्रामान्तर्गत काश्तकारी अधिनियम धारा 251 A ख.न. 50 व 845/36 रिपोर्ट तैयार कर अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

06/01/2026

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.03.24 20:45:50 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी कायम

मौका रिपोर्ट

(धारा 251(A) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत)

मैं ....धनराज.... (नाम) भू. अभिलेख निरीक्षक वृत्त....खारड़ा...., कार्यालय, तहसीलदार ....सेड़वा.... के आदेश कमांक ....2281.... दिनांक 31/12/2025 की पालना में भूमि की मौका रिपोर्ट तैयार करने हेतु आज दिनांक 01/01/26 समय ...12...बजे आराजी खसरा नम्बर–848/36...5 वाके ग्राम मगालिया पड़ा पटवार मंडल आमलाली....पर श्री .... पटवारी के साथ मौके पर पहुंचा।

समस्त पक्षकारों को तहसील कार्यालय से नोटिस कमांक 01/2026.... दिनांक ...01/01/26.... द्वारा जारी किये गये थे जिनकी तामील विधिवत रूप से करवायी गयी। समस्त पक्षकारों में से मौके पर निम्न पक्षकार उपस्थित थे :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	प्रार्थी/अप्रार्थी
01	अब्दुल कयूम	इब्राहीम दीन	25	मुसलमान	प्रार्थी
02	करीमा	इब्राहीम दीन	45	—	प्रार्थी

– Kayum

उपर्युक्त पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मौका मुआयना किया गया एवं मौका रिपोर्ट निम्मानुसार तैयार की गई :-

क्र.सं.	खातेदार का नाम	मौजा	खसरा नं.	रकबा	रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा	रास्ते में समाविष्ट भूमि कि कीमत	भूमि [illegible]
01	इस्माईल पुत्र अजला 2/3 जीमाल पुत्र अजला 1/6 सालिमा पुत्र अजला 1/6 कौम मुसलमान सा. देह खातेदार	मगालिया पड़ा	[illegible]	[illegible]127	0.0809 हे.	18202/-	बा. दो.
02	बहादुर पुत्र होता कौम मुसलमान सा. देह खातेदार	—	~~[illegible]~~ 848/36	5.5685	0.0809 हे.	18202/-	—
योग	—	मगालिया पड़ा	—		.1618 74	36404/-	

उक्त प्रस्तावित रास्ते मे कोई मकान, पेड़ इत्यादि नहि है भूमि मौके पर खाली है उक्त भूमि कि DLC दर 2,25,000 प्रति हेक्टेयर है। प्रस्तावित रास्ते मे प्रयुक्त भूमि कि DLC दर से दुगुनी राशि (क्षतिपूर्ति राशि) 72808/- रूपये। प्रस्तावित रास्ता कोई भाग अंकित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.03.24 20:45:50 IST
Reason: SelfAttested

पक्षकार प्रार्थी

उक्त मौका रिपोर्ट उपस्थित पक्षकारों और मौतबिरानों को पढ़कर सुनायी गई। मौके पर उपस्थित पक्षकारों ने पढ़, सुन एवं समझ कर निम्न प्रकार हस्ताक्षर किये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	जाति	हस्ताक्षर	प्रार्थी/अप्रार्थी
01	अब्दुलकयुम	इकरामदीन	मुसलमान	Kayum	प्रार्थी
02	डारेना	इकरामदीन	"		"

निम्न पक्षकारों ने मौका रिपोर्ट पढ़, सुन, समझ कर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	प्रार्थी/अप्रार्थी
	NIL				

मौके पर उपस्थित अन्य मौतबिरान को भी उक्त मौका रिपोर्ट पढ़कर सुनायी गयी और उनके निम्न प्रकार हस्ताक्षर करवाये गये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	पता/ मोबाईल नं.
01	अब्दुलकयुम	इकरामदीन	25	मुसलमान	9664399721 Kayum
02	डारेना	इकरामदीन	45	"	"

इस प्रकार आज दिनांक 01/01/2026 को मौका रिपोर्ट तैयार की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.03.24 20:45:50 IST
Reason: SelfAttested

हस्ताक्षर
पटवारी
पं. मं.

हस्ताक्षर 01/01/2026
भू. अ. निरीक्षक
वृत...................

तहसीलदार (भू.अ.) सेलाना

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 01/01/2026 12:50:02 PM

जिला : बाड़मेर | तहसील : सेड़वा | भू. अ. नि. क्षेत्र : सारला

पटवारी हल्का : जानपालिया | ग्राम : मंगलिया पाडा

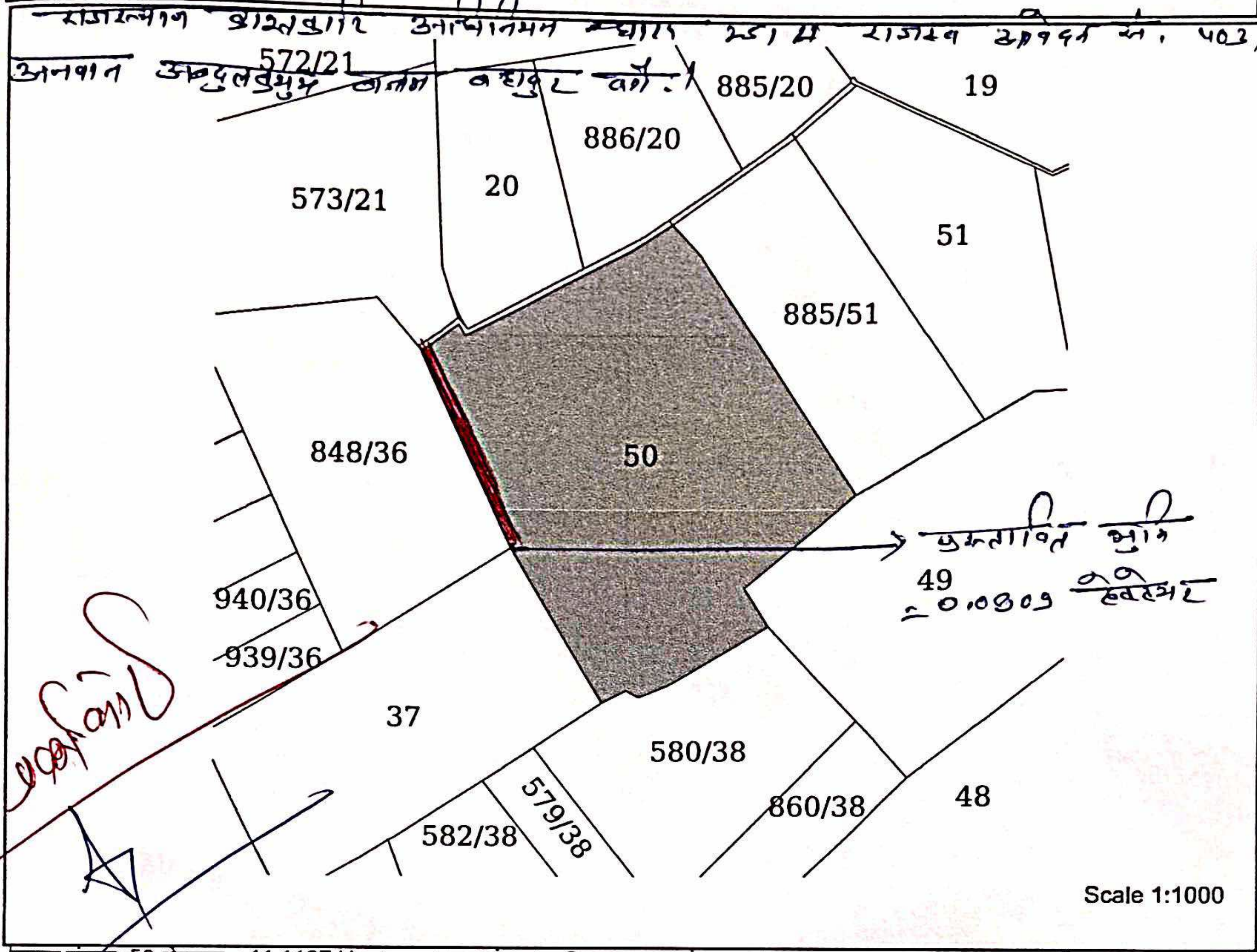

खसरा संख्या :50 क्षेत्रफल : 11.1127 Hectare खाता संख्या : 5पुराना खाता संख्या :4

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: बा.दोयम [11.1127, 3.44]

1.) इस्माईल पुत्र अजल हिस्सा- 2/3 जाति- मुसलमान सा. गरढिया खातेदार

2.) जीमाल पुत्र अजल हिस्सा- 1/6 जाति- मुसलमान सा. गरढिया खातेदार

3.) सालिया पत्नि अजल हिस्सा- 1/6 जाति- मुसलमान सा. गरढिया खातेदार

01/01/26

ILR सारला

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

Kayum

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.03.24 20:45:50 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार **NIC-BHUNAKSHA**

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि) **दिनांक : 01/01/2026 12:49:27 PM**

जिला : बाड़मेर | तहसील : सेड़वा | भू. अ. नि. क्षेत्र : सारला

पटवारी हल्का : जानपालिया | ग्राम : मंगलिया पाडा

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 251A राजस्व आवेदन 403/2025 अनवान अब्दुल रहीम बनाम बहादुर वगैरह।

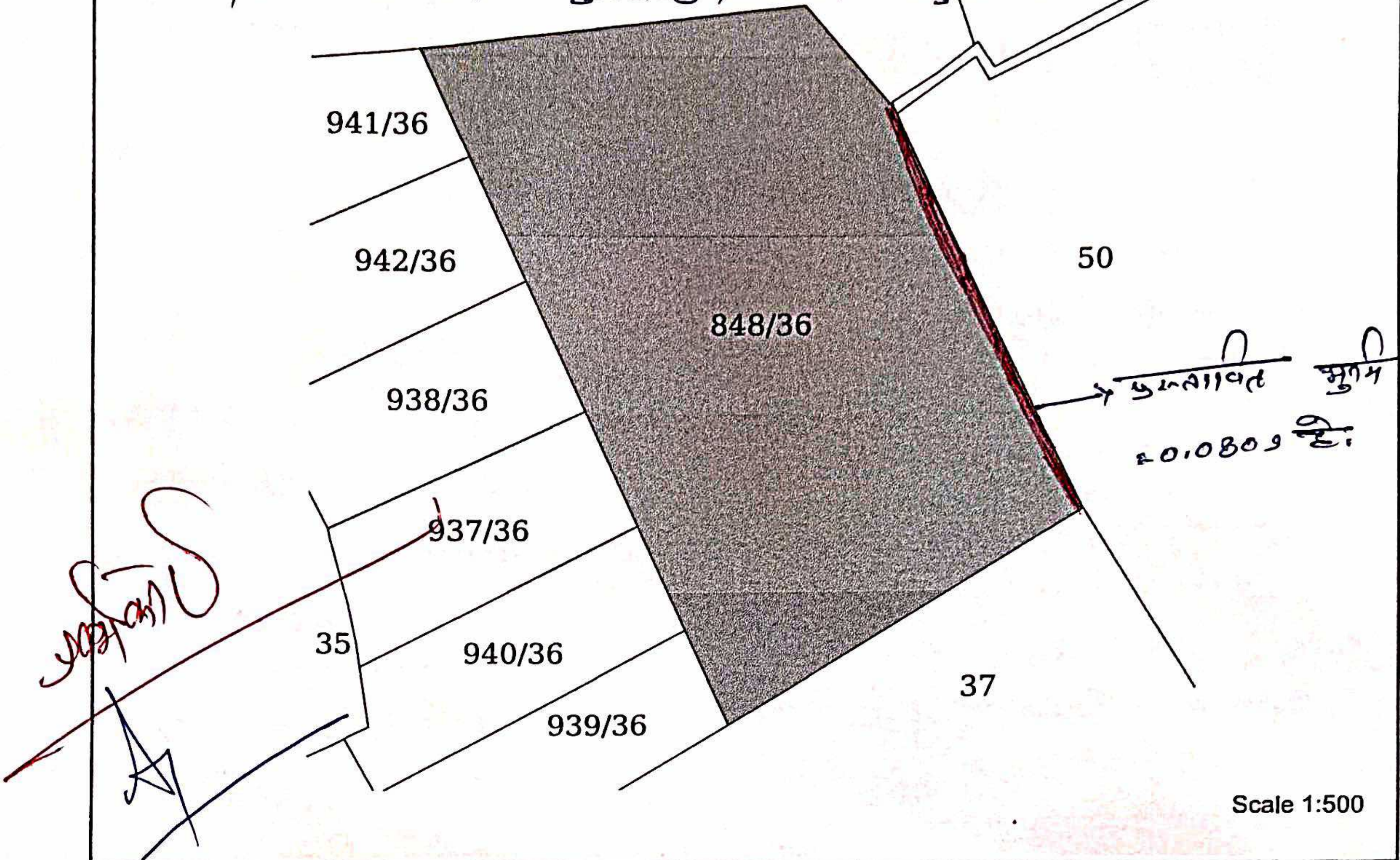

खसरा संख्या :848/36 क्षेत्रफल : 5.5685 Hectare खाता संख्या : 86पुराना खाता संख्या :72

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: बा.दोयम [5.5685, 1.73]

1.) बहादूर पुत्र होता हिस्सा- पूर्ण जाति- मुसलमान सा. देह खातेदार (पूर्ण खाता) दी सेंट्रल कोपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा सेडवा

01/01/2026
हल्का सारला

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.[illegible] 20:45:50 IST
Reason: Self Attested